Witness No…......................**04**..,for–.............**अभियोजन**.................,

Deposition taken on the ..**22.11.2025**.........,day of - witness's apparent age –....**53**.....**वर्ष**

States affirmation on oath......**शपथपूर्वक**............ my name is –........**श्री रामलाल नायक**...

D/W/S of – ....**पिता– सेवक राम नायक**.....................occupation–..........**कृषि**...............

Address – ....**ग्राम कन्याडबरी, थाना पिनकापार, जिला बालोद, छ0ग0** ....

//राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 श्री प्रमोद धृतलहरे उपस्थित।//

मुख्य परीक्षण प्रारंभ समय 12:00 बजे।

01. मै न्यायालय उपस्थित आरोपी डामन भुआर्य को जानता हूं। अनुपस्थित आरोपी हेमंत कुमार, जामुन बाई व गीतिका रानी को भी पहचानता हूं। मै प्रार्थिया ज्योति भुआर्य को भी पहचानता हूं। प्रार्थिया ज्योति भुआर्य का विवाह आरोपी हेमंत से हुआ था।

02 मै हल्बा सामाज का देवरी ब्लॉक का अध्यक्ष हूं। आरोपीगण देवरी ब्लॉक के ग्राम खैरीडीह के निवासी हैं। प्रार्थिया ग्राम सोरर की निवासी हैं। प्रार्थिया ज्योति भुआर्य हल्बा सामाज के ब्लॉक स्तर में एक आवेदन प्रस्तुत की थी जिसमें लेख किया गया था कि दोनो पति पत्नी के मध्य वाद–विवाद है।

03. दिनांक 19.05.2022 को सामाज के पदाधिकारियों का बैठक हुआ था जिसमें दोनो पक्ष उपस्थित हुए थे जिसमें गांव वाले निर्णय लिए थे कि 10,000 रू0 प्रतिमाह हेमंत कुमार अपनी पत्नी ज्योति को खर्चा देगा और यह खर्चा आरोपी प्रार्थिया को देता रहा। इसके पश्चात प्रार्थिया ने ब्लॉक में खर्चा बढ़ाने के लिए पुनः आवेदन दिया कि खर्चा की राशि बढ़ाया जाए और विवाद पर निर्णय लिया जाए। तब ब्लॉक में बैठक लेकर राशि 15,000 बढ़ा दिया गया और दोनो पति–पत्नी आपस में एक साथ नहीं रहने के लिए आपस में अपना निर्णय लिए।

04. उक्त निर्णय के पश्चात प्रार्थिया ज्योति के पिता सामाज में विवाद कर उक्त

निर्णय को मानने से इनकार कर दिया। प्रार्थिया के पिता के उक्त विवाद के पश्चात ब्लॉक स्तर पर लिए गए समस्त निर्णय अपास्त कर दिए गए और प्रकरण को जिला स्तर पर जिला स्तर पर संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।

05. बाद में गुरूर थाना वाले मुझे तलब कर पूछताछ किए थे और मुझे सामाजिक बैठक में लिए गए निर्णय के रजिस्टर की सत्यप्रतिलिपि मैने पुलिस को पेश किया था। रजिस्टर की सत्यप्रतिलिपि प्रपी 17 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। जप्ती पत्रक प्रपी 18 के भी अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

//प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता सुश्री रश्मि अवस्थी वास्ते आरोपीगण//

06. यह कहना सही है कि ज्योति व उसके परिवार वालों ने आरोपीगण के विरूद्ध दहेज लेने से संबंधित कोई शिकायत नहीं किया था। यह कहना सही है कि ज्योति अपने सास–ससुर व अपने पति के साथ भिलाई में रहने का मन नहीं करता, मै दांपत्य जीवन निर्वहन नहीं करना चाहती ऐसा हमें बताई थी।

07. यह कहना सही है कि हम सामाज वालों ने दोनो पक्षों को समझाईश दिए थे कि या तो आप साथ में रहो या आपस में तलाक लेकर पृथक–पृथक रहो। यह कहना सही है कि प्रार्थिया ज्योति भुआर्य के पिता जो को सामाज में जो समझाईश दिए थे उसको इनकार करते हुए बैठक में विवाद कर दिए थे।

08. यह कहना सही है कि ज्योति भुआर्य को आरोपीगण द्वारा किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया जाता हो ऐसा कोई बात सामाजिक बैठक में नहीं आई है।

प्रतिपरीक्षण समाप्त समय 12:30 बजे।

गवाह को पढकर सुनाया गया, सही होना स्वीकार किया।

गवाह का हस्ताक्षर

मेरे निर्देशन में टंकित

सही/–
(संजय कुमार सोनी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला–बालोद छ.ग.

सही/–
(संजय कुमार सोनी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला–बालोद छ.ग.